

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-04/06/2026

संख्या-12/निजी-7003/2024 सा0प्र0-9921 सुश्री अंकिता चौधरी, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-892/26), वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर को निजी कार्य हेतु दिनांक-23.03.2026 से दिनांक-23.05.2026 तक कुल-62 (बासठ) दिनों की उपमोग की गयी छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।


2. सुश्री चौधरी, बि0प्र0से0 को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-71-62 =09 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं 40 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. सुश्री चौधरी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5832, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वि0दा10नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-7003/2024 सा0प्र0-9921/पटना, दिनांक-04/06/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सुश्री अंकिता चौधरी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-892/26), वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।